भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4807

दिनांक 20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल सीटों की कमी

4807.श्री रामप्रीत मंडल:

श्री गिरिधारी यादव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में नीट-यूजी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में उपलब्ध कुल सीटों की संख्या में भारी कमी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस कारण उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए विदेशों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार चिकित्सा शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के विदेश जाने की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2013-14 में 387 से वर्तमान में 111.36% बढ़कर 818 हो गई है। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया गया है कि एमबीबीएस सीटों में 151.18% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 से पहले 51,348 से बढ़कर वर्तमान में 128,976 हो गई हैं, जिससे चिकित्सा शिक्षा की सुलभता में सुधार हुआ है।

सरकार ने पिछले एक दशक में विभिन्न सीएसएस योजनाओं के तहत मेडिकल कॉलेज की अवसंरचना का विस्तार करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, ताकि चिकित्सा शिक्षा अधिक किफायती हो सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से सहबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक

केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें उन अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है। देश भर के विभिन्न जिलों में कुल 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने, प्रति सीट 1.50 करोड़ रुपये की अधिकतम वर्धित लागत के साथ, 5000 पीजी सीटें बढ़ाने हेतु मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेज/स्टैंडअलोन पीजी संस्थान/सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन के लिए सीसीएस के विस्तार और 5023 एमबीबीएस सीटे बढ़ाने हेतु मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के स्तरोंन्नयन के लिए सीसीएस के विस्तार को मंजीरू कर दी है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श आयोजित करती है। काउंसलिंग पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उम्मीदवारों को उनकी रैंक और प्राथमिकता के अनुसार मेडिकल सीटें आवंटित की जाएं।

इसके अतिरिक्त, सरकार चिकित्सा शिक्षा को और अधिक किफायती बनाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। संबंधित राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए शुल्क संरचना सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेजों में राज्य-दर-राज्य अलग–अलग होती है। देश में चिकित्सा शिक्षा को किफायती और सुलभ बनाने के लिए, सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुल्क संरचना पर सब्सिडी दी जाती है। संविधान के प्रावधान (103वां संशोधन अधिनियम, 2019) के अनुसार, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यूजी/पीजी मेडिकल सीटों में 10% का आरक्षण है।
